दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के आवंटन हेतु पूल

1225. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के आवंटन हेतु कितने पूल निर्धारित किए गए हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य किन-किन विभागों को इन पूलों के अंतर्गत सरकारी क्वार्टर आवंटित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन पूलों के अंतर्गत लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है; और

(घ) क्या नेताजी नगर, लोधी कालोनी और सरोजिनी नगर में टाइप-2 और टाइप-3 के कई क्वार्टरों को अवैध रूप से किराए पर दिया गया है और यदि हां, तो ऐसे कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू): (क) से (ग) विभिन्न विभागों/संगठनों के कार्मिकों हेतु साधारण पूल से मकान देकर बनाए गए 24 विशेष पूलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)। मकानों का आवंटन संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा किया जाता है।

(घ) चूंकि ये पूल संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा शासित होते हैं इसलिए उप-किरायेदारी की शिकायतें भी उन्हीं के द्वारा देखी जाती है। यह मंत्रालय साधारण पूल आवास का शासित कर रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुसरण करते हुए सभी साधारण पूल के आवासों में घर-घर जाकर जांच की गयी है। नेताजी, लोधी कालोनी, सरोजनी नगर के मकानों में भी जांच की गयी है। उन मकानों की संख्या जिनमें उप-किरायेदारी का पता लगा है इस प्रकार है:-

	टाइप "बी"	टाइप "सी"
नेताजी नगर	58	-
लोधी कालोनी	-	31
सरोजनी नगर	-	229

यदि किसी आवंटी के विरूद्ध उप-किरायेदारी का मामला सिद्ध हो जाता है तो आवंटन दंड सहित रद्द कर दिया जाता है और दोशी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उसके विभाग को सूचित किया जाता है।

विवरण

विभिन्न विभागों/संगठनों के कार्मिकों हेतु साधारण पूल से मकान देकर बनाये गये 24 विशेष पूलों की सूची

क्र. सं.	विभाग/संगठन का नाम
1.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.)
2.	सुरक्षा महानिदेशालय (प्रचालानत्मक और अनिवार्य स्टाफ हेतु)
3.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई) प्रतिनियुक्ति पर आने वालों के लिए)
4.	सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)
5.	दिल्ली पुलिस
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
7.	आसूचना ब्यूरों (आई.बी.)
8.	डाक तार महानिदेशालय
9.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)
10.	सफदरजंग अस्पताल
11.	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल
12.	महानिदेशालय (विमानन)
13.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
14.	विशेष सुरक्षा दल (एस.पी.जी.) (मंत्रिमण्डल सचिवालय)
15.	अनुसंधान एवं मूल्यांकन स्कन्ध
16.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा
17.	महानिदेशालय (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड)
18.	लोक सभा (सांसदों व सचिवालय स्टाफ हेतु अलग-अलग पूल)
19.	राज्य सभा
20.	भारत सरकार प्रैस
21.	रक्षा
22.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
23.	दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के लिए पूल
24.	सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों के लिए पूल

Investment in NCR

1226. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state : (a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Financial Express dated the 1st July, 1996 captioned "Rs. 60,000 crore required for the National Capital Region";

(b) if so, the details of proposed investment by various sectors, including private sector, and the total provision made for urban planning concerning NCR issues under the Ninth Five Year Plan period; and